



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 98) पटना, मंगलवार, 3 फरवरी 2026

सिविल विमानन विभाग

अधिसूचना
31 दिसम्बर 2025

सं० सि०वि०नि० (स्था०)—01-60/2024-104—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या—1155, दिनांक—02.12.2024 के द्वारा बिहार उड्डयन संस्थान (वर्तमान में सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना के अधीन) में चीफ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर के पद पर ₹1,13,000/- (एक लाख तेरह हजार रुपये) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर कैप्टन रोहन राज का एक वर्ष की अवधि हेतु संविदा के आधार पर नियोजन (अवधि विस्तार) किया गया था। कैप्टन राज की उक्त संविदा अवधि दिनांक—31.12.2025 को समाप्त हो रही है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या—2401, दिनांक—18.07.2007, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—1718, दिनांक—06.05.2010 तथा संकल्प संख्या—1003, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में चीफ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर के पद हेतु निर्धारित ₹1,13,000/- (एक लाख तेरह हजार रुपये) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर कैप्टन रोहन राज की संविदा अवधि का विस्तार पुनः एक वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) किया जाता है।

उक्त अवधि विस्तार के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—1003, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में कैप्टन रोहन राज पुनः एकरारनामा हस्ताक्षरित करेंगे एवं सिविल सर्जन स्तर से निर्गत असैन्य चिकित्सा प्रमाण—पत्र समर्पित करेंगे।

कै० रोहन राज सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे तथा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा नहीं करेंगे।

इसमें नियुक्ति प्राधिकार माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 98-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>